

न्यायालय उ० सिविल जज(वरीय कोटि)-II, कहलगाँव, भागलपुर
पीठासीन पदाधिकारी:- मो० तसनीम कौसर
दीवानी वाद संख्या-79/2019

तेज नारायण सिंह.....(वादी)

बनाम

दीना हंसदा व अन्य.....(प्रतिवादीगण)

आदेश

17.07.2025:-

वादी की पैरवी है। उपस्थित प्रतिवादी की पैरवी नहीं है। वाद का पुकार किया गया, पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनका कथन है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं० 1(d) से 1(f) की उपस्थिति हेतु सारी प्रक्रिया कर ली गई है। फिर भी आज तक वे उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाए। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं० 1(d) से 1(f) की उपस्थिति हेतु चला आ रहा है। प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं० 1(d) से 1(f) की उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। साथ ही गजट प्रकाशन की कार्यवाही भी की जा चुकी हैं। अभिलेख के साथ गजट प्रकाशन का समाचार पत्र एवं **original postal** रसीद भी संलग्न है। जिससे प्रतीत होता है कि प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं० 1(d) से 1(f) को वाद की जानकारी है परंतु वो आज की तिथि तक फिर भी उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं० 1(d) से 1(f) के विरुद्ध वाद में एकपक्षीय सुनवाई नियत की जाती है।

वाद दिनांक 02.09.2025 वास्ते प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं० 1(a) से 1(c) की ओर से बयान तहरीर दाखिला हेतु।

उ० सिविल जज(वरीय कोटि)-II
कहलगाँव(भागलपुर)